कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) म.प्र. भोपाल

वन भवन, तुलसी नगर, भोपाल (म.प्र)
दूरभाष 0755-82674248,2674318 फैक्स 075582766315 E-mail-pccfwl@mp.gov.in

क्र./STSF/WLC/I/1185799/2026 `दिनांक 23-07-2026

ALERT NO.01/2026-27

विषयः- अत्यंत दुर्लभ प्रजाति के जलीय वन्यजीव घडियाल एवं कछुआ के शिकार एवं अवैध तस्करी पर अकुंश लगाने के संबंध में।

--00--

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फॉर्स इकाई शिवपुरी द्वारा चंबल नदी में पाये जाने वाले अत्यंत दुर्लभ एवं प्रतिबंधित प्रजाति के जलीय वन्यजीव कछुआ एवं घडियालों की तस्करी से संबंधित वन अपराध प्रकरण माह जुलाई २०२५ में दर्ज किया गया था, उक्त प्रकरण की जाँच में एक संगठित गिरोह की संलिप्तता की पुष्टि हुई। इस प्रकरण में गिरफ्तार **कुख्यात अन्तर्राज्यीय आरोपी एवं ग्वालियर निवासी** जो पूर्व में भी वन्यजीव कछुआ, घडियाल एवं अन्य वन्यजीव की तस्करी संबंधी प्रकरण दर्ज है एवं उसे सजा भी हो चुकी है वह आरोपी आदतन अपराधी है। आरोपी द्वारा चम्बल नदी के किनारे बसे ग्राम में मछुआरों से संपर्क कर कछुआ, घडियाल एवं अन्य वन्यजीवों की तस्करी **"राज्य के बाहर उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल"** की जाती है। वर्तमान में लगभग 10 माह तक जेल में रहने के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर से उसे सशर्त जमानत मिली है।

अतः उसके रिकॉर्ड को देखते हुए भविष्य में भी आरोपी एवं साथी गिरोह द्वारा दुर्लभ जलीय वन्यजीव की तस्करी की आशंका को नजर अंदाज नही किया जा सकता है। इसलिए वन्यजीव घड़ियाल एवं कछुओं की सुरक्षा एवं उनके शिकार एवं तस्करी की रोकथाम हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जावे-

1. चंबल अभ्यारण के अंतगर्त बने नदी घाटों पर वन स्टाफ द्वारा सतत् गश्ती की जावे।
2. घाटों पर अवैध रूप से मछली पकडने वाले मछुआरों पर सतत् निगरानी एवं समय-समय पर संदिग्ध मछुआरो की सर्चिग की जावे।
3. चंबल अभ्यारण के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक घाट प्रभारी द्वारा मछली पकडने वाले व्यक्तियों संबंधी जानकारी पंजी तैयार की जावे ।
4. वन्यजीव घडियाल एवं कछुआ के प्रजनन काल की अवधि पर विशेष रूप से घाटों की निगरानी की जावे।
5. चंबल अभ्यारण मध्यप्रदेश के अलावा उत्तरप्रदेश एवं राजस्थान राज्य की सीमा पर भी स्थित है। अतः उक्त क्षेत्र में आने वाले वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जावे तथा गोपनीय जानकारी साझा की जावे, उक्त अलर्ट के संबंध में भी सम्बन्धित को अवगत कराया जावे।
6. समय-समय पर विशेष रूप से गश्ती अभियान चलाकर जलीय वन्यजीव के शिकार एवं तस्करी सम्बन्धित अवैधानिक गतिविधियों को रोकने हेतु प्रयास किया जावे।

Digitally signed by
Sameeta Rajora
Date: 23-07-2026
12:26:20

(डॉ समीता राजोरा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश

क्र./STSF/WLC/I/1185799/2026 दिनांक 23-07-2026
प्रतिलिपि

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ एवं अध्यक्ष स्टेट टाइगर सेल, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्र संचालक, चीता परियोजना एवं माधव टाइगर रिजर्व, शिवपुरी ।
4. वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वन वृत ग्वालियर/शिवपुरी
5. समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय / वन्यजीव), ग्वालियर एवं शिवपुरी वन वृत
6. क्षेत्रीय प्रभारी, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स क्षेत्रीय इकाई , शिवपुरी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

--सही--
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश